कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक: एफ 6( )स.मू./2001/वसं/तेपयो/1654 दिनांक 2.7.2001

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या एफ ( ) प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.9.99 द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन की प्रकिया निर्धारित की गई है । इस प्रकिया के तहत कार्यस्थल पर सम्पादित समस्त कार्यों, जैसे विभिन्न प्रकार की बाड़, खड्डे खुदाई, पौधारोपण, कन्अूर ट्रेन्च, वी-डिच, कन्टूर डाईक्स, पत्थर एवं मिट्टी के चैकडेम एवं मिट्टी की अन्य संरचनाओं (डोला व पेरिफेरल वन्इस आदि) का भी शत-प्रतिशत मापन/भौतिक सत्यापन किया जाता है । अधिनस्थ वन अधिकारियों द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाया जाता है कि कार्यस्थलों पर बंनाई गयी मृदा की संरचनाओं, जैसे- मृदा के चैकडेम, डोला एवं पेरिफेरल बन्डस (मेड-बन्दी) के आयतन में, इनके निर्माण के कुछ समय पर्यन्त (विशेषकर एक वर्षा ऋतु के बाद) वर्षा/हवा/आंधी आदि प्राकृतिक कारणों से, कमी होना स्वाभाविक है ।

इस कार्यालय अधीन प्रबोधन एवं आयोजना इकाई सहित किसी भी मूल्यांकन दल द्वारा मृदा संरचनाओं का मापन, सामान्यत: मृदा संरचनाओं के निर्माण के कम से कम एक वर्षा ऋतु पर्यन्त ही किया जाना संभव हो पाता है । कभी-कभी एक-दो वर्ष पश्चात् भी मृदा संरचनाओं का मापन किया जाता है । उक्त अन्तराल के पश्चात् मृदा संरचनाओं के मापन किये जाने पर आलौच्य प्राकृतिक कारणों से इनके आयतन में, कमी पायी जाना स्वाभाविक है और इस प्रकृतिजन्य कमी के प्रति किसी भी लोक सेवक की उत्तरदायी ठहराना न्याय संगत नहीं है ।

चूंकि उक्त संरचनायें, मिट्टी के कच्चे काम होते है और इनमें वर्षा के पश्चात् मिट्टी का भराव/कटाव हो जाने से इनके आयतन में कमी आना स्वाभाविक है, अत: विचारोपरान्त, इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 29.9.99 के क्रम में एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त मृदा की संरचनाओं का भौतिक सत्यापन, कार्य संपादन के तुरन्त बाद, विशेषत: वर्षा से पहले ही, संबंधित वन संरक्षक,अपने तकनीकी सहायक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इन मृदा संरचना संबंधी कार्यो का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें ।

समवर्ती मूल्यांकन दल द्वारा क्षेत्र में मृदा के चैकडेम, डोला व पेरिफेरल बन्डस (मेड बन्दी) का मापन न कर वृत स्तरीय सत्यापन के सारांश, अपने प्रतिवेदन में समाविष्ट कर, इनकी वर्तमान स्थिति, उपयोगिता एवं प्रभाविता के संबंध में टिप्पणी दी जावेगी । समवर्ती मूल्यांकन दल द्वारा उक्त मृदा संरचनाओं के अतिरिक्त, क्षेत्र में हुए अन्य समस्त कार्यो का पूर्ववत शत-प्रतिशत गणना/मापन सत्यापन किया जाता रहेगा ।

ह/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर